न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या 61/2017 एफ एस एस एक्ट

1. सरकार जरिये जयसिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी
   कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा,जिला दौसा ।

— आवेदक—

बनाम

1. श्री सवाई सिंह उम्र 36 वर्ष पुत्र श्री भैरू सिंह
   एफबीओ मैसर्सः— लक्ष्मी जोधपुर मिष्ठान भण्डार, लालसोट रोड, मैन मार्केट, नांगल राजावतान, दौसा
   निवासीः— ग्राम सिलोर, तह0 समदडी, जिला बाडमेर।

—अभियुक्त —

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 (2) एफएसएसए एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : श्री जयसिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: अप्रार्थी अभियुक्त स्वयं उपस्थित।

—: आदेश :— दिनांक 7.2.2018

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहा हूँ। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) कमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार मुझे खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तिया प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज.जयपुर के आदेश क्रमांक 637 दिनांक 13.8.2014 एवं संशोधित आदेश क्रमांक 779 दिनांक 18.9.2014 के द्वारा मुझे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र आवंटित किया गया है।

यह है कि दिनांक 3.8.2017 को 2.45 पीएम बजे मैसर्स लक्ष्मी जोधपुर मिष्ठान भण्डार, लालसोट रोड, मैन मार्केट, नांगल राजावतान, दौसा स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री सवाईसिंह पुत्र श्री भैरूसिंह उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त फर्म का मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिए कहां तो उसने खाद्य पदार्थ लाइसेन्स होना जाहिर किया।

यह है कि निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान में एक स्टील की ट्रे में काउन्टर में करीब 4 किग्रा मावा कतली मिठाई (दूध चीनी से निर्मित) आम जनता को बेचने हेतु रखे हुई थी, में मिलावट का शक होने पर इनमे से 2 किग्रा मावा कतली मिठाई (दूध चीनी से निर्मित) नमूने की जॉच हेतु खरीदे। जिनकी कीमत 520 रू. नकद देकर बिल प्राप्त किया। जो संलग्न है।

यह है कि चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व (विक्रेता) एफ.बी.ओ. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को खरीदशुदा मावा कतली मिठाई (दूध चीनी से निर्मित) को कांच की बोतलो में बराबर—बराबर डालकर एयरटाइट ढक्कन बन्द कर कांच की

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

बोतलों पर गोंद से चिपकाया। कांच की बोतलो को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर किनारो को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाकर उन पर डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.–1711 गोंद से उपर से नीचे पूरे राउण्ड पर चिपकाकर कांच की बोतलो को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर कांच की बोतलो को चार–चार जगह उपर नीचे व साइडों में चपडी से सील मोहर कर कांच की बोतलो पर एफबीओ (विक्रेता) के हस्ताक्षर इस तरह करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लिप व खाकी कागज पर आये व गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारो सीलबंद कांच की बोतलो को अपने कब्जे में किया।

यह है कि आवेदक ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की जो संलग्न है।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकार उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जो संलग्न है।

यह है कि आवेदक ने कार्यालय में पहुंच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतिया तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने की एक सीलबंद बोतल एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतिया अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने का एक सील बंद बोतल व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च0श्रे0क0 मुख्यालय द्वारा दिनांक 4.8.2017 को खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, राज0 जयपुर के यहा जमा करवाये। जिसकी प्राप्ति की रसीद संलग्न है।

यह है कि नमूने के दो सील बन्द पॉलीपैक व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 4.8.2017 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है तथा नमूने का चतुर्थ सीलबंद बोतल व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 8.8.2017 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है।

यह है कि उक्त खाद्य पदार्थ मावा कतली मिठाई (दूध चीनी से निर्मित) के नमूने की खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस./1751/एक्ट/2017/1823 दिनांक 17.08.2017 डी.ओ. एवं सीएमएचओ दौसा के जरिये आवेदक को प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ मावा कतली मिठाई (दूध चीनी से निर्मित) का नमूना सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया। जांच रिपोर्ट व पत्र की प्रति संलग्न है।

अतः न्याय निर्णय आवेदन श्रीमान के समक्ष पेश कर निवेदन है कि जुर्म की अनविक्षा कर दोषी को अधिक से अधिक जुर्माना से दण्डित करने का श्रम करे।

प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण में अप्रार्थी अभियुक्त पर लगाये गये आरोपो को पढकर सुनाया गया । अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा लिखित जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उक्त खाद्य पदार्थ मावा कतली मिठाई (दूध चीनी से निर्मित) को ट्रे में डालते समय ट्रे में भूलवश रिफाइण्ड लगा दिया गया था। इस वजह से उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। भविष्य में ऐसी पुनरावर्ती नही होगी। अतः प्रकरण में कम से कम जुर्माना लगाकर प्रकरण को ड्रोप फरमावे।

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./1751/एक्ट/2017/1823 दिनांक 17.08.2017 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ मावा कतली मिठाई (दूध चीनी से निर्मित) का नमूना सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। जो एफएसएसए नियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) का उल्लंघन है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त श्री सवाई सिंह उम्र 36 वर्ष पुत्र श्री भैरू सिंह एफबीओ मैसर्सः– लक्ष्मी जोधपुर मिष्ठान भण्डार, लालसोट रोड, मैन मार्केट, नांगल राजावतान, दौसा द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ मावा कतली मिठाई (दूध चीनी से निर्मित) सबस्टैण्डर्ड का विक्रय किये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (II) का उल्लंघन होने से अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी अभियुक्त श्री सवाई सिंह उम्र 36 वर्ष पुत्र श्री भैरू सिंह एफबीओ मैसर्सः– लक्ष्मी जोधपुर मिष्ठान भण्डार, लालसोट रोड, मैन मार्केट, नांगल राजावतान, दौसा पर 3000/– (अक्षरे तीन हजार) रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक 7.2.2018 के एक माह के अन्दर–अन्दर जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे ।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 7.2.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

क्रमांक/ 8137-8139
दिनांकः– 7.2.2018

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री सवाई सिंह उम्र 36 वर्ष पुत्र श्री भैरू सिंह एफबीओ मैसर्सः– लक्ष्मी जोधपुर मिष्ठान भण्डार, लालसोट रोड, मैन मार्केट, नांगल राजावतान, दौसा।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा